

श्री १००

(11)

२२२०/१६०० PBR/१५ सम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<u>17.6.2015</u>	<p>आवेदक की ओर से श्री वीरेंद्र व्यास आमेभाषक उपस्थित) तर्क सुने गये। अनुपाधिकता का कारण समाधान का एक ही से पूर्व प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	<p style="text-align: center;">2)</p>

२२२१०/६०० PPR/१५ एम

निवासी- ग्राम जामली तहसील पटलावद

जिला झाबुआ

विरघ

म०प्र० शासन द्वारा प्राचार्य

शासकीय हाई स्कूल ग्राम जामली

तहसील पटलावद जिला झाबुआ

-- रिविजन्सर्ज

-- प्रत्यर्थी/ अनोवदक